



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2568]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 2016/कार्तिक 4, 1938

No. 2568]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2016/KARTIKA 4, 1938

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3315(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, "पश्चिमी बंगाल" शीर्षक के अधीन, पश्चिमी बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता, से संबंधित क्रम संख्यांक 29ड. में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् स्तम्भ 2, 3 और 4 में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
	"डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी-होम्योपैथिक फार्मैसी	एम.डी. (होम्यो.) (होम्यो. फार्मे.)	मई, 2015 से आगे"

[फा. सं. आर-13040/93/2008-एचडी (तक.)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची का पहला संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा किया गया था और अंतिम संशोधन का.आ. 2783(अ), तारीख 23 अगस्त, 2016 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2016

**S.O. 3315(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely : -

In the Second Schedule to the said Act, under the heading “WEST BENGAL”, in serial number 29E relating to West Bengal University of Health Sciences, Kolkata, after the existing entries, the following entries in columns 2, 3 and 4, shall be inserted, namely:-

1	2	3	4
	“Doctor of Medicine in Homoeopathy- Homoeopathic Pharmacy	M.D. (Hom.) (Hom. Pharm.)	From May, 2015 onwards”.

[F. No. R-13040/93/2008-HD (Tech.)

ANURAG SRIVASTAV, Jt. Secy.

**Note :** The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 was first amended *vide* notification number S.O. 3496(E), dated the 11<sup>th</sup> October, 1977 and last amended *vide* S.O. 2783(E) dated the 23rd August, 2016.